रूप-पत्र 27

(उत्तर प्रदेश व्यापार कर नियम, 1948 के नियम 12-ख का उपनियम (5) देखिये)

(उन व्यापारियों के सम्बन्ध में व्यापार कर अधिकारी द्वारा रखा जाने वाला खाता जिन्हें उनके द्वारा रूप-पत्र जारी किये गये हों

शुल्क जो जमा किया गया हो				जारी किये गये रूप-पत्रों का विवरण	
प्रार्थना-पत्र की प्राप्ति का दिनांक	धनराशि	खजाना चालान संख्या व दिनांक (यदि न्यायालय शुल्क स्टाम्प द्वारा जमा किया गया है तो न्यायालय शुल्क लिख दें)	जारी कियो जाने का दिनांक	रूप-पत्र 3-ग(1) .... कुल संख्या क्रम संख्या से क्रम संख्या तक	रूप-पत्र 3-ग(2) .... कुल संख्या क्रम संख्या से क्रम संख्या तक
1	2	3	4	5-(क)	5-(ख)

रूप-पत्र 3-ग(3)	रूप-पत्र 3-ग (4)	रूप-पत्र 3-ग(5)		
कुल संख्या क्रम संख्या से क्रम संख्या तक	कुल संख्या क्रम संख्या से क्रम संख्या तक	कुल संख्या क्रम संख्या से क्रम संख्या तक	जारी किये गयो रूप-पत्रों की कुल संख्या	जारी किये गये समस्त रूप-पत्रों का कुल मूल्य
5 (ग)	5(घ)	5(ड़)	5(च)	6

शेष शुल्क, यदि कोई हो तो	व्यापारी के हस्ताक्षर	प्रमाणित करने वाले साक्षी के हस्ताक्षर	व्यापार कर अधिकारी व्यापार कर अधिकारी श्रेणी (दो) के हस्ताक्षर
7	8	9	10

व्यापारी द्वारा अभ्यर्पित प्रयुक्त रूप-पत्र				
रूप-पत्रों का प्रकार	कुल संख्या	क्रम संख्या से	क्रम संख्या तक	व्यापार कर अधिकारी/ व्यापार कर अधिकारी के हस्ताक्षर
11(क)	11(ख)	11(ग)	11(घ)	12

टिप्पणी - इस रूप-पत्र में हस्ताक्षरों के सत्यापन का, आवश्यक परिवर्तनों के साथ वही अर्थ होगा जो सम्पति अन्तरण अधिनियम, 1882 की धारा 3 में दिया गया है।